



अलाउद्दीन खिलजी की राज्य व्यवस्था और भारतीय समाज

बबलू ठाकुर
शोधार्थी, ल0 ना0 मि0 वि0, दरभंगा.

समाज और धर्म

मोहम्मद बिन कासिम ने 712ई0 में सिंध पर विजय प्राप्त कर ली, जो भारत में पहला मुस्लिम उपनिवेश बना था। किंतु अरब सौदागरों के द्वारा जो हिंदू शासकों की अनुमति और प्रश्रय से भारत और यूरोप के मध्य मसाले, हाथी दांत, जवाहरात आदि का व्यापार करते थे, इस्लाम एक सदी पूर्व ही भारत पहुंच चुका था। इनमें से कई अरब सौदागर मालाबार तटीय क्षेत्र में बस गए और हिंदु शासकों की अनुमति से उन्होंने इस्लाम धर्म का प्रचार किया। इन सौदागरों के बस जाने के फलस्वरूप एक मिलीजुली आबादी तटीय क्षेत्र में व्यापारिक केंद्रों में विकसित होने लगी थी जिसमें आधे हिंदू तथा शेष आधे में अरब या फारस मूल के लोगों का संयुक्त परिवार बनने लगा था।

भारत पर इस्लामी प्रभाव के दृष्टिकोण से ग्यारहवीं सदी के आरंभ में भारत पर तुर्क अफगानों की विजय बहुत महत्वपूर्ण है जिसके द्वारा इस्लाम का भारत में राजनीतिक शक्ति के रूप में आगमन हुआ।

भारत का इतिहास विभिन्न प्रकार की जातियों तथा संस्कृतियों की पारस्परिक परिवर्तन की प्रक्रिया द्वारा समांजस्य तथा साहचर्य स्थापना का सुंदर उदाहरण प्रस्तुत करता है। मुसलमानों का आगमन सदियों से चली आ रही आत्मसात करने की इस प्रक्रिया के लिए एक चुनौती बन गया। युनानी, शक, पल्लव, कुशान और हूण जैसे प्रारंभ के आक्रमणकारियों से जिन्हें भारत में सामाजिक और सांस्कृतिक रूप में आत्मसात कर लिया गया, मुसलमानों की स्थिति भिन्न थी, जो एक विशेष मत (धर्म) को लेकर आए थे। जाहिर है कि आडंबरपूर्ण रीति-रिवाज और आत्मसात करने की क्षमता रखनेवाले हिंदू धर्म के साथ इस्लाम की कोई समता नहीं थी। इसकी सुस्पष्ट सामाजिक प्रथा, दर्शन और कट्टर धर्म नियमों ने हिंदू धर्म में इसके विलय को असंभव बना दिया था।

मध्ययुगीन जीवन में धर्म और सामाजिक संस्थाओं का महत्वपूर्ण स्थान था, किंतु इस मामले में हिंदू और मुसलमानों में बहुत भेद था। इनके धार्मिक मतभेदों के विषय में प्रो० य००५०० घोषाल ने 'हिस्ट्री एंड कल्चर ऑफ इंडियन पिपुल' में कहा है, 'वे अपनी धार्मिक आस्था, पूजा अर्चना तथा ईश्वर भक्ति से संबंधित दैनिक व्यवहारों में मौलिक विभेद रखते थे। उनकी दार्शनिक मान्यताओं में, उनके धार्मिक साहित्य में, स्वर्ग और नरक के लिए तथा जीवन तथा अगले जन्म संबंधी विचारों में कहीं कोई साम्य नहीं था। वे अपने सामाजिक नियम तथा व्यवहार में भी काफी अंतर रखते थे। इस्लाम धर्मावलंबियों में बराबरी और भाईचारे के सिद्धांत के साथ हिंदुओं में प्रचलित जाति प्रथा और छुआछुत में भारी विषमता परिलक्षित होती थी। हिंदुओं में, अंतर्विवाह, सहभोज और विधवा विवाह के निषेधों को मुसलमान गलत मानते थे, क्योंकि इस्लाम में तलाक, औरतों के पुनर्विवाह तथा कुछ प्रतिबंधों के अलावा विवाह की पूरी स्वतंत्रता थी। उनमें उत्तराधिकार के नियमों, मृतकों के संस्कार, पोशाक, भोजन और स्वागत के ढंग भी अलग-अलग थे। मुस्लिम विजेताओं ने भारत में ऐसी समस्याएँ पैदा कर दी जो पहले नहीं थी। इसीलिए संपूर्ण मध्यकालीन अवधि में यह समस्या बनी रही कि अपने-अपने सुदृढ़ मूलाधारों वाली इन दो सामाजिक व्यवस्थाओं में परस्पर स्वस्थ संबंध कैसे विकसित हो। लगभग सात शताब्दियों तक श्रेष्ठता के लिए संघर्ष चलता रहा। एक ओर इस्लाम के जीवन दर्शन का प्रभाव था तो दूसरी ओर व्यापक हिंदू संस्कृति और सम्यता का। अलाउद्दीन खिलजी के राज्य व्यवस्था के अन्तर्गत भारतीय सामाजिक एवं धार्मिक स्थिति का अध्ययन एक रोचक पहलू है।

अलाउद्दीन की कठोर शासन व्यवस्था तथा बहुत से सुधार कार्यों के फलस्वरूप राज्य भर में शांति, सुव्यवस्था और अमनचैन स्थापित हो गया ।

अलाउद्दीन भूपतियों के प्रति असहिष्णु था । भूपति—वर्ग बिना परिश्रम के धनसंग्रह कर लेते थे और धनी—मानी बन जाने पर वे भोग—विलास में लिप्त रहकर विद्रोह पर उतारू हो जाते थे । भूपति वर्ग कर वसूलने में कठोरता की नीति से काम लेते थे किंतु लगान का अधिकांश भाग अपने पास रखकर शाही कोष को अनुमानित आय से वंचित रखते थे । फारसी कहावत के अनुसार, फसाद की जड़ जर, जन और जमीन थी । अलाउद्दीन फसाद की जड़ को काट देना चाहता था । इस दृष्टि से अलाउद्दीन खिलजी ने राजस्व संबंधी फरातन नियमों को बदल डाला । वह आय में वृद्धि कर साम्राज्य की विविध आवश्यकताओं की पूर्ति करना चाहता था ।

डॉ० यू० एन० डे के अनुसार, अलाउद्दीन खिलजी ने वैसे सभी व्यक्तियों की भूमि को खालसा भूमि या सरकारी भूमि में बदल दिया और पुनः उसका पूरा विवरण तैयार कर स्वामिभक्त सरदारों के बीच वितरण कर दिया । डॉ० आर०पी० त्रिपाठी के विचार में, जब्ती की घोषणा के पीछे भूमि पर स्वामित्व के अधिकार को वैध या अवैध करने की जाँच करने तथा उन्हें अपनी शर्तों के अनुसार जमीन देने के उद्देश्य से नया नियम जारी किया गया था । डॉ० के० एस०लाल के शब्दों में, “सुल्तान सभी भूमि—अनुदान को रद्दकर अपने अधिकारियों को नकद वेतन देना चाहता था ।

हिन्दुओं के प्रति कठोर नीति:-

अलाउद्दीन खिलजी ने चार अध्यादेशों के अतिरिक्त हिन्दुओं के प्रति विशेष कठोर नियमों को लागू किया था । हिन्दुओं के पास वंशानुगत सम्पत्ति थी । वे भूस्वामी थे और खुत तथा मुकद्दम की हैसियत से विशेष सुविध के अधिकारी माने जाते थे । साधारण कृषकों की तुलना में हिन्दुओं के बीच वे सुविध प्राप्त वर्ग की स्थिति रखते थे और खिराज, जजिया, चारागाह आदि करां से मुक्त रहते थे । सम्पत्तिशाली और अधिकारप्राप्त वर्ग होने के नाते उनमें विद्रोह की प्रवृत्ति बनी रहती थी । अतः हिन्दुओं के प्रभावशाली वर्ग को निर्धनता की स्थिति में लाने के उद्देश्य से अलाउद्दीन ने विशेष नियमों की व्यवस्था की थी । उसने हिन्दुओं के प्रति कठोरता के साथ विशेष नियमों को लागू किया जिससे साधारण किसान एवं भू—पति वर्ग दोनों को अपार कष्ट का सामना करना पड़ा । इतिहासकार वूल्जे हेग ने लिखा है “सम्पूर्ण राज्य में हिन्दुओं की दरिद्रता और पीड़ा के निम्नस्तर पर पहुँचा दिया गया था और यदि कोई ऐसा वर्ग था जिसकी दशा दूसरों से अधिक दयनीय थी तो वह वंशानुगत कर निर्धारित करने तथा वसूलने वाले पदाधिकारियों का था जिनका पहले समाज में सम्मान था ।” बरनी का कथन है कि “चौधरी, खूत और मुकद्दम न तो घोड़े पर चढ़ सकते थे, न हथियार रख सकते थे और न अच्छे वस्त्र और पान का शौक भी कर सकते थे । निर्धनता के कारण उनकी स्त्रियाँ पड़ोसी मुसलमानों के घरों में दासी की तरह काम करने लगी थी ।” बरनी का कथन अतिरिक्त है । डॉ० यू०एन० डे का विचार है कि “अलाउद्दीन के विशेष नियमों के फलस्वरूप हिन्दुओं और कृषकों की सम्पन्नता नष्ट हो गयी थी किन्तु वे निर्धनता की स्थिति में नहीं पहुँचे थे ।”

डॉ० के० एस० लाल के अनुसार “अलाउद्दीन के कार्य अत्याचारपूर्ण थे ।” कर में वृद्धि का मुख्य कारण हिन्दुओं की विद्रोही प्रवृत्ति को दबाना था । इसमें सन्देह नहीं है कि अलाउद्दीन हिन्दुओं के प्रति कठोरता से पेश आया था । हिन्दू मंदिरों, मूर्तियों को नष्ट करना अथवा युद्ध—बन्दियों की हत्या कर देने से भी इस बात की पुष्टि होती है कि अलाउद्दीन हिन्दुओं के प्रति असहिष्णु था ।

लगान में वृद्धि के कारण भूपति—वर्ग और कृषकों के बीच का अंतर समाप्त हो गया और भूमि—कर के अतिरिक्त उन्हें मकान, चारागाह, करी, जजिया, जकात, आयात—निर्यात कर आदि भी देना पड़ता था । उपज का आधा भाग लगान के रूप में राजकीय कोष में चला जाता था और अन्य करों को देने के बाद कृषकों के पास उपज का चौथाई भाग अथवा उससे कम पैदावार जीवन निर्वाह के लिए रह पाता था । कर की दर में समानता नहीं थी । मुसलमान व्यापारियों से 5÷ तथा हिन्दू व्यापारियों से 10÷ कर लिया जाता था । खेती हिन्दुओं के द्वारा की जाती थी । अतः राजस्व—सुधार की मार सबसे ज्यादा उन्हें ही भुगतनी पड़ी । कृषक वर्ग अधिक पीड़ित हुआ और उसकी अवस्था पहले से अधिक सोचनीय हो गयी ।

अलाउद्दीन खिलजी का उलेमा एवं अमीरों से सम्बन्धः—

सल्तनतकालीन भारत में धार्मिक कानून और आज्ञायें दूसरे कानूनों की अपेक्षा अधिक मान्य थी। राज्य को कानून बनाने के क्षेत्र में बहुत ही कम स्वतन्त्रता थी क्योंकि उन्हें मापदण्डों के आधार पर कानून निर्माण का कार्य करना पड़ता था, जिनकी मान्यता पहले से ही धार्मिक कानूनों ने निश्चित कर रखी थी। दिल्ली के सुल्तानों को इस प्रकार से अपनी इच्छानुसार शासन चलाने में कोई बाधा नहीं रही। उनका आदेश ही कानून बन गया और उनकी शक्ति ही उसके कानून को लागू करने की सहचरी बन गई। इस प्रकार से इस्लाम के भारत में आने से पहले बहुत—सी प्राचीन प्रणालियाँ और मान्यतायें बदल चुकी थीं और इस्लाम के सिद्धांतों तथा कार्यप्रणाली में भी बड़ा अन्तर आ चुका था।

अलाउद्दीन के राज्य काल में यद्यपि उलेमाओं की संख्या तुलनात्मक दृष्टि से गुलाम वंश के सुल्तानों की अपेक्षा अधिक थी परन्तु उलेमा स्वयं को एक राजनैतिक गुट के रूप में संगठित करने और शासन को प्रभावित करने में असमर्थ रहे। उलेमाओं की यह हिम्मत नहीं थी कि वे असन्तुष्ट हो अमीरों और सरदारों से गठबन्धन करके सुल्तान के विरुद्ध उलेमाओं की स्थिति अलाउद्दीन के राज्यकाल में अच्छी थी क्योंकि सुल्तान न तो उलेमाओं के मामले में हस्तक्षेप करता था और न ही उनको राजकीय मामलों में हस्तक्षेप करने देता था।

धर्म का सम्मान किन्तु धर्मान्य नहीं— बरनी की 'तारीख' का सरसरी तौर पर अध्ययन करने पर पाठक के मस्तिष्क पर यह प्रभाव पड़ता है कि सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी विधर्मी नहीं तो धर्महीन जरूर था। किन्तु यह सत्य नहीं है। निसन्देह अलाउद्दीन दैनिक पांच वक्त की नमाज अदा करने में तथा रमजान के पवित्र महीने में रोजे रखने में बहुत पाबन्द नहीं था तथा साक्षर न होने के कारण उसने पवित्र कुरान को कभी नहीं पढ़ा तथा वह दिल्ली सल्तनत का प्रथम सुल्तान था जो जुम्मे की नवाज के लिए कभी नहीं गया और उलेमा को राजनीति में हस्तक्षेप करने नहीं दिया तथापि वह एक सच्चा मुसलमान था। उसे इस्लाम में अटूट तथा दृढ़ विश्वास था तथा मुसलमानों के प्रति प्रगाढ़ श्रद्धा थी अमीर खुसरो तथा इसामी जैसे महान लेखक उसे एक सच्चा मुसलमान मानते थे। हाँ वह धर्मान्य नहीं था क्योंकि सुल्तान के चरित्र के गहन अध्ययन से स्पष्ट प्रकट होता है कि धार्मिक विचारों के कारण उसने हिन्दुओं को पीड़ित नहीं किया। उसने तो अमीर तथा उलेमा वर्ग को राजहित के लिए ही दीन—हीन बना दिया चाहे उसमें बहुसंख्यक हिन्दू ही थे।

सन्दर्भ सूची

1. कैम्बिज हिस्ट्री ऑफ इंडिया : खण्ड—3
2. ईश्वरी प्रसाद :— हिस्ट्री ऑफ मेडियल इंडिया
3. ए० के० श्रीवास्तव :— खिलजी सुल्तान इन राजस्थान
4. अवध बिहारी पाण्डेय :— मध्यकालीन भारत
5. एल पी शर्मा :— मध्यकालीन भारत
6. हरफान हबीब :— मध्यकालीन भारत (खण्डों में प्रकाशित)
7. मो० हबीब एवं के० ए० निजामी :— दि देहली सल्तनत 1206—1526
8. वी० एस० भार्गव :— मध्यकालीन भारतीय इतिहास
9. ए० एल० श्रीवास्तव :— द सल्तनत ऑफ देहली